

क्रमांक एफ 11(69 ना एफसीए/मुवस/2021  
निमित्त,

3334

दिनांक:- 6/10/22

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,  
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,  
राजस्थान-जयपुर।

**विषय :** Diversion of 0.1447 hectare forest land for construction of approach road for a new Indian Oil Corporation Limited retail outlet On (Bikaner-Nagaur) Road NH-89 Between KM Stone No. 178-179 (Chainage No. 178+212 To 178+247) RHS in khasra No. 943/781(After Conversion Khasra No. 979/973) at Village-Badani, Tehsil & District-Nagaur (Rajasthan). Proposal No : FP/RJ/Approach/147151/2021

**संदर्भ :** उप वन संरक्षक, नागौर का पत्रांक 5542 दिनांक 20.09.2022 के क्रम में। राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (21)वन/2022 जयपुर, दिनांक 04.03.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण में शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार के पत्रांक प. 1 (21)वन/2022 जयपुर, दिनांक 04.03.2022 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.1447 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पैरावाइज पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, नागौर द्वारा प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार है:-

क्र.	पैरावाइज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में यूजर एजेन्सी IOCL द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए काम में नहीं लेगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोलपम्प के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पौधों को वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावेगा एवं उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरो/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनो ओर रिक्त पड़े स्थानो पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गो के बीच के स्थान(Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सटिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति पत्र की प्रति संलग्न है।)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य मे योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रुपये 1,92,000/- (अक्षरे रुपये एक लाख बरानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.1447 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रुपये 96,969/- (अक्षरे रुपये छियानवे हजार नौ सौ उनहतर मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

<p>गड़ धनराश का बक चालान/यूटाआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।</p>	
<p>14. प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।</p>	<p>इस आशय का अप्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)</p>
<p>15. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण से पालना अपेक्षित नहीं है।</p>
<p>16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।</p>	<p>प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है।(दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दोनों समाचार पत्रों एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां <b>कार्यालय ग्राम पंचायत, बाडाणी</b> को उपलब्ध करा दी गई है।(पावती की छाया प्रति संलग्न) है।</p>

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दो सेट मूल।

भवदीय



(विजय एन.)

मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर।

राजस्थान सरकार

## कार्यालय उप वन संरक्षक, नागौर

स्टेडियम के पास, नागौर, फोन : 01582-241046, फैक्स : 01582-248175, ईमेल : dcf.ngr. forest @ rajasthan. gov. in

क्रमांक : एफ ( ) तक / उवसं / 2022-23 / 55-42  
निमित्त :

दिनांक : 20-9-2022

मुख्य वन संरक्षक,  
अजमेर



**विषय : Diversion of 0.1447 hectare forest land for construction of approach road for a new Indian Oil Corporation Limited retail outlet On (Bikaner-Nagaur) Road NH-89 Between KM Stone No. 178-179 (Chainage No. 178+212 To 178+247) RHS in khasra No. 943/781(After Conversion Khasra No. 979/973) at Village-Badani, Tehsil & District-Nagaur (Rajasthan).**

**Proposal No : FP/RJ/Approach/147151/2021**

संदर्भ : राजस्थान सरकार वन विभाग, जयपुर का पत्रांक प. 1 (21)वन/2022 जयपुर, दिनांक 04.03.2022

महोदय,

विषयान्तर्गत प्रकरण में शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रकरण में 0.1447 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की पैरावाइज पालना रिपोर्ट निम्नानुसार है:-

क्र.	पैरावाइज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में यूजर एजेन्सी IOCL द्वारा कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वन भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए काम में नहीं लेगा। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पेट्रोलपम्प के निर्माण एवं रखरखाव के दौरान आस-पास के क्षेत्रों की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित पौधों को वन विभाग की पूर्वानुमति के बिना नहीं काटा जावेगा एवं उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)

6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसीन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हों।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान(Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
9.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। (एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट की प्रति संलग्न है।)
10.	प्रयोक्ता अभिकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा इस बिन्दु की पालना कर दी गई है। प्रदुषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति पत्र की प्रति संलग्न है।)
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुए राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सर्जित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में 100 वृक्षों का क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण एवं 10 वर्ष तक रख-रखाव हेतु आवश्यक धनराशि रूपये 1,92,000/- (अक्षर रूपये एक लाख बरानवे हजार मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-कैम्पा दिनांक 09.06.2016 में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दुसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि 0.1447 हैक्टर का शुद्ध वर्तमान मूल्य राशि रूपये 96,969/- (अक्षर रूपये छियानवे हजार नौ सौ उनहतर मात्र) ई चालान पद्धति द्वारा जमा करा दी गई है। (चालान की प्रति संलग्न)

	छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे की सक्षम स्तर से यदि एनपीवी की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	इस आशय का अण्डरटेकिंग प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर लिया गया है। (प्रति संलग्न है।)
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित, क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण से पालना अपेक्षित नहीं है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.04.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव की सैद्धान्तिक स्वीकृति को स्थानीय हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है। (दोनों समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न) एवं प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा दोनों समाचार पत्रों एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां कार्यालय ग्राम पंचायत, बाडाणी को उपलब्ध करा दी गई है। (पावती की छाया प्रति संलग्न) है।

संलग्न : उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक

नागौर

दिनांक :

क्रमांक : सम./

प्रतिलिपि: अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (FCA) राज., जयपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक

नागौर

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,  
नागौर,  
राजस्थान।

विषय :- अनुपालना रिपोर्ट Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

संदर्भ:- शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 एवं आपके कार्यालय का पत्र क्रमांक एफ ( ) तक/उवसं/2022-23/1998 दिनांक 05.04.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग द्वारा उक्त प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति जरिये पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 को जारी की गई थी जिसकी पालना कर अनुपालना रिपोर्ट आपके सुलभ संदर्भ एवं अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या :- FP/RJ/APPROACH/147151/2021

क्र.स.	शर्त	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त

*Mammy*

	आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दांनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	वनाधिकार अधिनियम के तहत बांछित एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
10.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रदूषण नियंत्रण मण्डल से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया है। प्रतिलिपी संलग्न है।
11.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
12.	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि 1,92,000/- रुपये वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान से दिनांक 07/06/2022 को जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।
13.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMP A दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा 12-2/2010- CAMP A दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि 96,969/- रुपये दिनांक 07/06/2022 को ई-चालान द्वारा CAMP A Fund में जमा करवा दी गई है। प्रतिलिपी संलग्न है।

*Manoj*

मनोज गुप्ता / MANOJ GUPTA  
 प्रबन्धक (रिटेल सेल) / Manager, (Retail Sales)  
 नागौर II रिटेल क्षेत्र / Nagaur II Sales Area  
 इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (विपणन प्रभाग)  
 INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M. D.)  
 अजमेर मण्डल कार्यालय / Ajmer Divisional Office  
 अजमेर / AJMER - 305006



	जावेगा।	
14.	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढ़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
15.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
16.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

MANOJ GUPTA  
 Manager (Retail Sales)  
 Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA NON JUDICIAL

राजस्थान RAJASTHAN

BC 725453



शपथ-पत्र

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH 89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

मनके मनोज गुप्ता शपथपूर्वक बयान करता हूँ कि -

1. यह है कि मिकर एक भारतीय नागरिक है।
2. यह कि मिकर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लिमिटेड का अंटानी होल्डर है।
3. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
4. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
5. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द)  
उप वन संरक्षक

Manoj

मनोज गुप्ता / MANOJ GUPTA  
प्रबन्धक, (खुदरा बिनी) / Manager, (Retail Sales)  
नगौर II विभागीय क्षेत्र / Nagaur II Sales Area  
(District - Nagaur)

2815 17/06/2022

मनोज गुप्ता  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन

संस्थानम्

48 2mm/ed

051  
12  
157

मनोज गुप्ता / MANOJ GUPTA  
प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री) / Manager, (Retail Sales)  
नागौर II बिक्री क्षेत्र / Nagaur II Sales Area  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (निष्पन्न प्रभाग)  
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M. D.)  
अजमेर मण्डल कार्यालय / Ajmer Divisional Office  
अजमेर / AJMER - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

6. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा, उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
8. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
9. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनो मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जायेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
11. यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।
12. सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बड़ी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत है।
13. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।
14. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण ने हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

मिकर



(Manoj Gupta)

मनोज गुप्ता (Manoj Gupta) Manager (Retail Sales) Area Nagaur II Sales Area  
प्रबन्धक, (Retail Sales) Area Nagaur II Sales Area  
नागौर II विक्री क्षेत्र (विपणन प्रभाग)  
इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (M. D.)  
INDIAN OIL CORPORATION (M. D.)  
अजमेर इण्डियन ऑइल कार्यालय / Ajmer Divisional Office  
अजमेर - 305006

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर



क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner – Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-1 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (1) की अनुपालना में वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-वस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द्र)

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner – Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-2 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (2) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Sales)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द्र)

उप वन संरक्षक

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-3 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (3) की अनुपालना में याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(इ.ब.स.ब.)

उप वन संरक्षक

नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781. (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-4 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (4) की अनुपालना में प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के ही होंगे, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय

(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(शाबचन्द)

उप वन संरक्षक  
नागौर



क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.


**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-5 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (5) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

मनो गुप्ता  
प्रबन्धक, (खुदरा विक्री) / Manager (Retail Sales)  
नागौर II Sales Area  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (म.प.)  
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M. P.)  
Ajmer Divisional Office  
Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(इबचन्द)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.


**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-6 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (6) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल की आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)

Nagaur II Sales Area

**Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)**

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर



(ज्ञानचन्द्र)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-7 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (7) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)  
प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री) / Manager, (Retail Salas)  
नागौर II Sales Area  
इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (प्रयोग)  
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M.O.)  
**Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)**  
अजमेर / AJMER - 305006  
Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर



(श्री. व. स. सिंह)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-8 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (8) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा स्वयं के व्यय वर पेट्रोल पम्प एवं निकास मार्ग के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर ट्री गार्ड लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (Separator Island) पर कम से कम 2 फीट ऊँची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जावेगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



मनोज गुप्ता (Manoj Gupta)  
प्रबन्धक, (खुदरा बिक्री) / Manager (Retail Sales)  
भाग 14, भारतीय नैवेलियुस लि. (प्रा. लि.)  
Nagaur II Sales Area  
INDIAN OIL CORPORATION LTD. (M. D.)  
आजमेर / AJMER - 305006

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द)

उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.


**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-11 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (11) की अनुपालना में यह है कि प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण पूर्णतया सहमत है।

भवदीय

  
(Manoj Gupta)  
Manager (Retail Sales)  
Nagaur II Sales Area  
Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)  
Ajmer Divisional Office  
Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द्र)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner - Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-14 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (14) की अनुपालना में यह है कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager: (Retail Sales)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(शान्द)

उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner – Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.


**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-15 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (15) की अनुपालना में राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इसमें प्रयोक्ता अभिकरण की पूर्णतया सहमति है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Salas)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर



(शम्भु)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

क्रमांक : FP/RJ/APPROACH/147151/2021

दिनांक: 16.06.2022

**Project Name:** - Diversion of 0.1447 hectare Forest Land for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner – Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178 - 179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943 ), at Village - Badani, Tehsil & District - Nagaur, Rajasthan.

**Proposal No:** - FP/RJ/APPROACH/147151/2021

**Applied Area:** - 0.1447 Ha

**सैधान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या-16 का वचन बद्धता प्रमाण पत्र**

प्रमाणित किया जाता है कि शासन सचिव राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (21) वन / 2022 दिनांक 04.03.2022 के द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति जारी की गई थी जिसकी शर्त संख्या (16) की अनुपालना में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सैधान्तिक स्वीकृति को हिन्दी एवं अंग्रेजी समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है।

भवदीय



(Manoj Gupta)

Manager (Retail Sales)

Nagaur II Sales Area

Indian Oil Corporation Ltd (M.D.)

Ajmer Divisional Office

Ajmer - 305006

प्रति-हस्ताक्षर

(शानुचन्द)

उप वन संरक्षक  
नागौर



050963 (05280) (11.01)

BANK COPY

यूनियन बैंक Union Bank of India



NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 06-06-2022

Agency Name.	Indian Oil Corporation Limited (IOCL)
Application No.	70147151497
MoEF/SG File No.	1(21)FOREST/2022
Location.	RAJASTHAN
Address:	24 Sainik Basti Nagaur Nagaur
Amount(In Rs)	288969/-

Amount in Words - Two Lakh Eighty-Eight Thousand Nine Hundred and Sixty-Nine Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	RAJASTHAN CAMPA	←
IFSC Code:	UBIN0903710	←
Pay to Account No.	1508570147151497	←
	Valid only for this challan amount.	
Bank Name & Address:	Union Bank Of India Lodhi Complex Branch, Block 11, CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003	

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Send a line of confirmation through

if the payment status has not been updated  
on your challan with transaction date to

प्रति-उस्ताक्षर

(सहचयक)

उप वन संरक्षक  
नागौर

*(Signature)*

DJ GUPTA  
Manager, (Retail Sales)  
District II Sales Area  
नागौर (विपणन प्रभाग)  
UNION BANK OF INDIA LTD. (M. D.)  
District Divisional Office  
305006



**Rajasthan State Pollution Control Board**  
**First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagaur**  
**Phone: 01582-294353 Fax: 01582-294353**  
**Registered**



ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATION FOR CONSENT UNDER THE WATER (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1974 AND THE AIR (PREVENTION & CONTROL OF POLLUTION) ACT, 1981 FOR SMALL SCALE / TINY INDUSTRIES UNDER GREEN CATEGORY UPTO AN INVESTMENT OF RS. 5.00 CRORES.

File No : F(Ack)/Nagaur(Nagaur)/25(1)/2022-2023/1253-1254

Order No: 2022-2023/Nagaur/12427

Date : 23/08/2022

From :  
Regional Officer[ Nagaur ]  
Rajasthan State Pollution Control Board,  
First Floor, Cooperative Land Development Bank Ltd, Nagaur

To,

M/s SURYA FILLING STATION (UnitID:121578)  
Kh. No. 979/943 & 981/975 of Village Badani, Tehsil and Dist. Nagaur , Nagaur Tehsil:Nagaur  
District:Nagaur

I / We hereby acknowledge the receipt, in this office, on 04/08/2022 of your application dated 04/08/2022 for Consent to Establish for (project / process / activity name) SURYA FILLING STATION under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 having capital cost of the project Rs. 38.00 Lacs duly filled in and accompanied by prescribed fee Rs. 3,000.00 and requisite documents.

This acknowledgement of the consent application shall be treated as Consent to Establish, of the State Board, under section of 21 of the Air(Prevention & Control of Pollution) Act,1981 ,to Consent to Establish your industry at Kh No 979/943 981/975 of Village Badani, Nagaur RURAL , Nagaur Tehsil:Nagaur District:Nagaur and there would be no need for the industry to obtain periodical renewal of consent, till such time the unit modifies / changes its processes provided that -

- 1.The acknowledgement shall be subject to the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act,1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Environment (Protection) Act, 1986.
- 2.This acknowledgement will not be used as an evidence for ascertaining the land title and its use.
- 3.The acknowledgement is from the point of view of control of pollution, and does not absolve the unit from making compliance of the other statutory obligations, prescribed under any other law or instrument, for the time being in force and the directions passed by the Hon'ble Courts.
- 4.The State Board shall have the right to conduct random checks or call information from the unit and make a formal consent order prescribing conditions etc., as required.
- 5.The Industry falls under Green Category - Automobile fuel outlet (only dispensing) having adequate arrangements for vapor collection during dispensing as per Head Office Order No. F.14(23) Policy/RPCB/Plg./153-189 dated 02/06/2020.

प्रति-हस्ताक्षर

(इशानन्द)

Signature valid

Digitally signed by Savita  
Date: 2022.08.23 16:20:17 IST  
Reason: Self Attested



**Specific Condition :**

1. That this acknowledgement is being issued for the Automobile fuel outlet (Only Commercial) of PETROL (MS) 1 KL/Day, Diesel (HSD) 1.5 KL/Day, Lubricant 20 Ltr/Day Sought by Sh. RUGHA RAM PROPRIETOR at Khasra no. 979/943 & 981/975, Village – BADANI, District – NAGOUR-341001, which is dully converted for petrol pump use by KARYALAY VIHIT PRADHIKARI (DISTRICT COLLECTOR), NAGOUR Vide letter No. 765 dated 16.02.2021
  2. The total capital investment in the project without depreciation shall not exceed 38 lacs.
  3. That ground water shall not be abstracted without prior approval of Central Ground Water Authority. Besides no trade effluent shall be generated from the facility.
  4. That this acknowledgement is being issued on the basis of documents/ information uploaded by the applicant/industry/process/project. The liability of veracity and correctness of the uploaded document/information shall solely be of the applicant only.
  5. In case, any direction for closure has been issued by the State Board for the same premises and has not been withdrawn, then this acknowledgment shall not be considered as consent, in any case and shall be treated null & void.
  6. That this acknowledgement of consent application shall cease to be valid in case of any change in product/process/operation/raw material/capacity/area or in information/document submitted /uploaded at the time of seeking consent.
  7. That submission of any incorrect or partial information/false documents or concealment or misrepresentation of material facts shall make the applicant/industry/process/project liable for legal action, jointly as well as severally, under the provisions of the Indian Penal Code'1860, Information Technology Act'2000, & Air (Prevention & Control of Pollution) Act'1981, which may include imprisonment and/or penalty as per the provisions of the statutes.
  8. That unit shall comply with all the provisions and conditions as mentioned by guidelines issued by Central Pollution Control Board O.M. dated 07.01.2020 and addendum dated 16.08.2021. (Copy enclosed).
  9. That the total sludge and other hazardous waste shall be disposed as per Rule no. 08 of Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and amendments.
  10. That the unit/ petrol pump shall obtain the authorization for hazardous waste under Hazardous Waste (Management and Trans-boundary Movement) Rules 2016 and further amendments.
  11. The unit shall comply with the provisions of Public Liability Insurance Act, 1991 and any further amendments, if applicable.
  12. The unit shall comply with the provisions of "Manufacture, Storage, and Import of. Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989" under the Environment. (Protection) Act, 1986 and any further amendments, if applicable.
  13. The filling station shall get permission for establishment of fuel station from competent authorities such as District Administration, LSG, PESO etc.
  14. This acknowledgment is not evidence for ascertaining entitlement of land.
  15. This acknowledgement shall be subjected to compliance of any direction or order passed by court of law in matter.
  16. That the grant of this acknowledgement is issued from the environmental angle only, and does not absolve the project proponent from the other statutory obligations prescribed under any other law or any other instrument in force. The sole and complete responsibility, to comply with the conditions laid down in all other laws for the time-being in force, rests with the industry/ unit/ project proponent.
- 2 17. Unit shall make the arrangement for Rain water Harvesting.

प्रति-हस्ताक्षर  
(ज्ञानचन्द्र)  
उप वन संरक्षक  
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Savita  
Date: 2022.08.23 16:20:17 IST  
Reason: See Attested



This acknowledgement is in accordance with the directions issued by the Central Pollution Control Board vide letter no. B - 29014/1/90/PCI - I/17793 dated 21-10-1992.

Copy To :

Regional Officer[ Nagour ]

1 Master File.

Regional Officer[ Nagour ]

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द्र)

उप वन संरक्षक  
नागौर

Signature valid

Digitally signed by Savita  
Date: 2022.08.23 16:20:17 IST



प्रमाणित प्रतिलिपि/फाट  
4773 F.12(05) दिनांक 13-1-22  
(27) Rev/2022  
233  
F.12(05) (27)  
F.12(05) (27)

Annexure-I

**FORM-I**  
(For LINEAR PROJECTS)  
Government of Rajasthan  
Office of the District Collector, Nagaur

No. F.12(05)( 27 )Rev/2022/ 233

Date : 12-01-2022

TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter no. 11-9/98 -EC(pt.) dated 28<sup>th</sup> October, 2014 it is certified that **0.1447** hectare of forest land proposed to be diverted in favor **Indian Oil Corporation Limited** for construction of approach road for proposed Retail outlet (purpose for diversion of forest land) along the **Bikaner-Nagaur Road NH-89**) between KM stone No. 178-179, RHS in khasra No. **979/943 (Old Khasra Number 943/781)** on Road in Nagaur district falls within jurisdiction of **Badani** village in Nagaur Tehsil.

It is further certified that the above **0.1447** hectare of protected forest land proposed to be diverted does not have any recognized rights of Primitive tribal group (PTG) and the rights of pre-agriculture communities (PAC) are not being affected. The forest land proposed to be diverted is having plantation which were notified as "Forest less than 75 years, prior to the 13<sup>th</sup> day of December 2005 and are located in village **Badani** having no recorded population of schedule tribes as per the census-2001 and the census-2011".

(Dr. Jitendra Kumar Soni)  
District Collector, Nagaur

Dated 12-01-2022

No.Same/ 234-36

1. Copy forwarded to Manager (Retail), Indian Oil Corporation Limited, Ajmer with original certificate.
2. Dy. Conservator of Forest, Nagaur
3. Guard File

नकल कर्ता..... PC  
मिलान कर्ता.....

प्रमाणित प्रतिलिपि  
प्रशासनिक अधिकारी  
जिला कलेक्टर कार्यालय  
नागौर

(Mohan Lal Khatnawalia)  
Add.District Collector  
Nagaur

प्रति-वस्ताक्षर

संशोधन विभाग, दिल्ली, भारत

- |                                          |         |
|------------------------------------------|---------|
| 1. वास्तविकता के बारे में तारीख और कक्षा | 685     |
| 2. वास्तविकता के बारे में तारीख          | 21-7-22 |
| 3. कुल कुल                               | 1       |
| 4. वास्तविकता                            | 1       |
| 5. वास्तविकता                            | मिर्जा  |
| 6. वास्तविकता के विषय में तारीख          | 22-7-22 |
| 7. वास्तविकता के विषय में तारीख          | 21-7-22 |
| 8. वास्तविकता के विषय में तारीख          | 4       |
| 9. वास्तविकता के विषय में तारीख          | 21-7-22 |

कार्यालय ग्राम पंचायत बाडाणी पं. सं. नागौर

क्रमांक -

दिनांक- 22-07-2022

शासन सचिव,  
वन विभाग,  
राजस्थान सरकार

महोदय,

आपके आदेश क्रमांक -पं.1(21)वन/2022 दिनांक-04.03.2022 की शर्त  
संख्या- 16 के क्रम में हिन्दी व अंग्रेजी समाचार पत्र की एक एक प्रति प्राप्त कर ली  
गई है।

सरपंच,

ग्राम पंचायत बाराणी

प्रति-हस्ताक्षर

(ज्ञानचन्द्र)

उप वन संरक्षक  
नागौर

होता  
में ही  
लग  
लिए  
ओर  
किन

वर्ष 2022-23 के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए 10 करोड़ की नॉन पेचेबलमिसिंग लिंक सड़कों की बजट घोषणा की गई। बजट घोषणा की अनुपालना में वित्त

163 विधानसभा क्षेत्रों के लिए 5944.62 किलोमीटर लंबाई के 2663 सड़क कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी की गई है। इन सड़क कार्यों की लागत 161868.55 लाख रुपए है।

म  
गाएंगे  
कार  
रूप  
भारत  
वी.  
कहा  
माना  
की  
की  
होंने  
तक  
वह  
पर  
गा।  
स्था  
ओं  
नेक  
जा  
धक  
था  
हुए  
नेवा  
सों  
में  
के  
होंने  
में  
बूट  
पर  
में  
या  
धि  
कि  
का  
में  
ना

**राजस्थान सरकार  
वन विभाग**

जयपुर, दिनांक 04.03.2022

क्रमांक: प. 1 (21) वन/2022  
प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
राजस्थान, जयपुर।

विषय- Diversion of 0.1447 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943), at Village-Badani, Tehsil & District- Nagaur, Raj. (FP/RJ/Approach/147151/2021)

संदर्भ- आपका पत्रांक एफ 14 (489/42)2021/एफसीए/प्रमुखस/612 दिनांक 11.02.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 से स्टोन नम्बर 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) के खसरा नम्बर 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943) ग्राम बदानी तहसील एवं जिला नागौर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं विकास हेतु 0.1447 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में Diversion of 0.1447 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach Road For Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Nagaur Road (NH-89) Between KM Stone No. 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781, (After Conversion Khasra No. 979/943) at Village- Badani, Tehsil & District- Nagaur, Raj. की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पातन सहित निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करती है-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र को वनस्पतियां एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जावेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।
8. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं विकास मार्ग के दोनों ओर किन्नर पेड़ स्थानों पर ट्री हाई लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हें संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
9. प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनुमति प्रस्तुत करावेगा।
11. प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
12. प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षो का पातन होने पर 100 वृक्षो तथा 10 से अधिक वृक्षो का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षो का दस गुना संख्या में वृक्षो का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान तर्कों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा की जावेगी।
13. प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिखिल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010-CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शूद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शूद्र वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जावेगी। जिसके उपरंतु ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरंतु विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
14. प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोत्तरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
15. राज्य सरकार द्वारा की गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
16. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन टिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरों प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय - (बी. प्रवीण)  
शासन सचिव



Reconstruction of the... powers conferred under section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice Dated 02.04.2021, calling upon the Borrower Mrs. Megha Panwar W/o Mr. Utpal Panwar (Borrower) & Mr. Utpal Panwar S/o Mr. Kastoor Chand Panwar (Co-Borrower), to repay the amount mentioned in the notice being Rs. 33,67,026.33 (Rupees Thirty Three Lakhs Sixty Seven Thousand and Twenty Six and Paise Thirty Three Only) + Unrealized Interest + Costs + other charges as on 01.04.2021 together with further interest thereon at the contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under sub section (4) of the section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 on this 12th Day of July of the Year 2022. The Borrowers in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the Bank of Baroda for an amount Rs. 33,67,026.33 (Rupees Thirty Three Lakhs Sixty Seven Thousand and Twenty Six and Paise Thirty Three Only) + Unrealized Interest and further interest thereon, at contractual rate plus costs, charges and expenses till date of payment. The Borrowers attention is invited to provision of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets.

**DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**  
 All that part and parcel of Property Consisting of H.No. 38, Laxman Vihar 1st, Kunhari, Kota, District-Kota (Raj.)  
 Bounded by:- East: Road West: Plot No. 94  
 North: Plot No. 37 South: Plot No. 39  
 Date : 12.07.2022, Place : Kota  
 Authorized Officer, Bank of Baroda

क्रमांक: प. 1 (21) वन/2022  
 प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)  
 राजस्थान, जयपुर।  
 राजस्थान सरकार  
 वन विभाग  
 जयपुर, दिनांक 04.03.2022

विषय:- Diversion of 0.1447 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach Road for Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Nagaur Road (NH-89) between KM Stone No. 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943), at Village-Badani, Tehsil & District- Nagaur, Raj. (FP/RJ/Approach/147151/2021)  
 संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (489/42)2021/एफसीए/प्रसुवस/612 दिनांक 11.02.2022

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में इण्डियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में स्टोन नम्बर 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) के खसरा नम्बर 943/781 (After Conversion Khasra No. 979/943) ग्राम बदानी तहसील एवं जिला नागौर में प्रस्तावित पेट्रोल पम्प के प्रवेश एवं निकास हेतु 0.1447 हेक्टेयर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.1447 ha. of forest land in favour of Indian Oil Corporation Limited (IOCL) for Construction of Approach Road For Proposed Indian Oil Corporation Ltd. Retail Outlet on Bikaner-Nagaur Road (NH-89) Between KM Stone No. 178-179 (Chainage: 178+212 to 178+247) RHS in Khasra No. 943/781, (After Conversion Khasra No. 979/943) at Village- Badani, Tehsil & District- Nagaur, Raj. की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना किसी वृक्ष के पालन सहित निम्न शर्तों के अध्वधीन प्रदान करती है:-

- वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
- प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
- याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्थितियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
- प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के रसोई गैस/केरोसिन का कैंप नहीं लगाया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भूने का कार्य नहीं किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा स्वयं के व्यय पर पेट्रोल पम्प में प्रवेश एवं निकास मार्ग के दोनों ओर स्थित पड़े स्थानों पर ट्री गाई लगाकर तथा दोनों मार्गों के बीच के स्थान (separator island) पर कम से कम 2 फीट ऊंची दीवार बनाकर सीमांकन कर इसका उपयोग वृक्ष लगाने एवं उन्हे संरक्षित करने में किया जाएगा। यह वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण के अतिरिक्त होगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ प्रदूषण नियंत्रण मण्डल की अनापत्ति प्रस्तुत करावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पालन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पालन होने पर पालन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जावेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFOWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।
- प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र निर्धारित राशि जमा की जावेगी। उपरोक्त अनुदेशों के अनुसार शूद्र वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की प्रतिपूर्ति वृक्षारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकास के वेबपोर्टल OSMFOWP द्वारा सुजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरान्त ई-चालान की छाया प्रति जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति जमा की गई अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का मदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरान्त विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
- प्रयोक्ता अधिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अधिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।
- राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
- भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 की पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकास, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकास, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्त के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23